न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 65 / 2019
जी.सी.एम.एस नम्बर : 2019 / 00181

प्रार्थी:–
सुजाराम पुत्र हिराराम जाति चौधरी (सीरवी), निवासी रानीकलां तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–
1. श्रीमती पेपी पत्नी हिराराम जाति सीरवी निवासी रानीकलां तहसील रानी जिला पाली
2. तेजाराम पुत्र हिराराम जाति सीरवी निवासी रानीकलां तहसील रानी
3. ग्राम पंचायत रानीकलां जरिये सरपंच तहसील रानीकलां जिला पाली
4. श्रीमती संतोष भाटी संरपच महोदया ग्राम पंचायत रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
श्री मांगीलाल प्रजापत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18.05.22

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थीया पेपी के पक्ष में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक–ग्रा.प.रा.क./19 दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम रानीकलां में प्रार्थी का पुश्तैनी प्लॉट है, जिसके संबध में ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के पिता हीराराम ने आवेदन पेश किया। प्रार्थी के पुश्तैनी प्लॉट के पड़ौस निम्न है– उत्तर में समाराम खीमाजी का बाडा, दक्षिण में कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी का भवन, पूर्व में पड़त भुमि एवं पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा स्थित है। उक्त विवादित आराजी भुमि पर हीराराम का लगभग 65–70 वर्षो से कब्जा है। पट्टा बनवाने हेतु पेश आवेदन के आधार पर मिसल संख्या 05/2005–06 कायम कर पंचायत नियमों के अनुरूप विधिवत कार्यवाही की गई है। पंचायत बैठक दिनांक 02.07.2008 मे लिखित आपत्ति पर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवेदित परिसर प्रार्थी के पिता हिराराम का पुश्तैनी मानते हुए बाजार दर से उपरोक्त भुखण्ड का पट्टा प्रार्थी के पिता हिराराम के नाम जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी के पिता हीराराम द्वारा बाजार दर से निर्धारित 10 प्रतिशत राशि ग्राम पचांयत में जमा करवा दी गई। भुखण्ड का पटटा प्रार्थी के पिता के नाम जारी किया जाना था जो जारी नही किया गया। प्रार्थी के पिता हीराराम के देहांत हो जाने के बाद भी किसी प्रकार का नोटिस

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी को प्राप्त नही हुआ है। प्रार्थी के पिता ने पारिवारिक सेटलमेंट में वर्ष 2009 में ही उक्त विवादित भूखण्ड प्रार्थी के हिस्से में रख दिया था, जिस पर वह निवास कर रहा है। प्रार्थी के भाई तेजाराम ने तत्कालीन सरंपच रानीकंला से मिलकर अवैध रूप से अप्रार्थीया पेपीदेवी के नाम स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करवा दिया, जिसके आधार पर पेपीदेवी ने उक्त भूखण्ड का बख्शीशनामा प्रार्थी के भाई तेजाराम के नाम पंजीबद्ध करवा दिया। ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 19.04.2017 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत केवल विधिवत आदेश पारित कर पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी भुखण्ड के स्वामित्व के संबंध में जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी भूखण्ड का वास्तविक मालिक सुजाराम पुत्र हीराराम चौधरी ही है, जिनको नियमानुसार पट्टा जारी करने की अनुषंशा की गई है। ऐसी स्थिति में दुबारा उपरोक्त संपत्ति के संबध में न तो स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, एवं न ही उक्त भुखण्ड की पुनःमिसल कायम की जा सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई सम्पुर्ण कार्यवाही ही एब–इनिसियो–वॉईड होने से अपास्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं अप्रार्थीया पेपीदेवी के पक्ष में ग्राम पचांयत रानी कंला द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र को खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सख्या 02 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे एवं उपभोग की रहते ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक/ग्रा.प.रा.क./19 दिनांक 05.04.2018 को स्वामित्व प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्ताव व प्रक्रिया से जारी किया गया है, उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र की भुमि को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बख्शीशनामा के आधार पर दिनांक 16.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करने से अप्रार्थी संख्या 2 का इस पर निर्विवाद रूप से कब्जा कायम है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कब्जा नही है एवं न ही पारिवारिक सेंटलमेंट में प्रार्थी को उक्त आराजी पर किसी प्रकार का हक दिया गया है। प्रार्थी ने जैर निगरानी भुखण्ड पुश्तैनी बताया है, जिसका पट्टा एक मात्र प्रार्थी के हक में जारी करना स्वीकार योग्य नही है, जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी आदिनांक तक काबिज है साथ ही अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित बक्सीशनामा दिनांक 16.04.2018 से आदिनांक तक प्रभाव में होने से जैर निगरानी निरस्त योग्य है। अतः निगरानी खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 03 ने बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को निराधार मान कर अस्वीकार करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत रानी कला द्वारा अप्रार्थी पेपी देवी के पक्ष में दिनांक 05.4.2018 को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र विधिवत जारी किया गया है, जैर निगरानी स्वामित्व प्रमाण पत्र नियमों की पालना करते हुए किया हैं, जिसमें कही भी पंचायत नियमो की अवहेलना नही है। अप्रार्थी श्रीमती पेपी पत्नी हीराराम चौधरी ने ग्राम पंचायत रानीकलां में विधिवत स्वामित्व प्रमाण पत्र हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया था जिसके आधार पर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी खारिज करावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प.रा. क./19 दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए स्वामित्व प्रमाण पत्र की वैद्यता को चुनौति दी है। हालांकि

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है अथवा नही? यह पृथक विषय है किन्तु प्रकरण में विधिक बिन्दु यह परिलक्षित होता है कि– आया ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता है अथवा नही? विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नही है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 19.4.2017 के द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुक्रम मे ग्राम पंचायतो द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र आदि जारी नही करने बाबत दिशा–निर्देश जारी किये है। इस स्थिति में ग्राम पंचायत रानी कंला द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.पं.रा.क./19 दिनांक 5.4.2018 विधिक प्रावधानों के अनुरूप नही होना पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रानी कंला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प.रा.क/19 दिनांक 05.04.2018 को विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली